भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4054
जिसका उत्तर बुधवार, 17 जुलाई, 2019 को दिया जाना है

एकीकृत विधिक प्रभाग

4054. डॉ. हिना विजयकुमार गावीत :
डॉ. सुभाष रामराव भामरे :
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले :
श्री कुलदीप राय शर्मा :
श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे :
श्री मोहनभाई कल्याणजी भाई कुंदरिया :
डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) क्या सरकार ने एकीकृत विधिक प्रभाग (आईएलडी) के गठन की योजना बनाई है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ;
(ग) क्या यह कदम लंबित मामलों की संख्या में कमी लाएगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ; (घ) आईएलडी के कार्यान्वयन में सरकार को किन-किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और इसके लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ; और
(ङ) क्या सरकार यह बताएगी कि क्या उक्त तंत्र को राज्य स्तर पर भी स्थापित किया जाएगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) से (ङ) : केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में एकीकृत विधिक प्रभाग (आईएलडी) की स्थापना करने के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया गया है जो इन मंत्रालयों/विभागों के सुसंगत मुद्दो पर विधिक सलाह प्रदान करेगा। यह प्रस्ताव, वर्तमान में, विचाराधीन है।

****